न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

अपील सं0––09/2019
प्रविष्टि दिनांक––2.5.2019

1. ग्यारसीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सीदडा, तहसील निवाई जिला टोंक
2. केश्व पुत्र ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
3. अशोक पुत्र ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
4. धोली देवी पत्नी ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक

अपीलार्थीगण

बनाम

1. संजय पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. पूजा पुत्री गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. विशाल पुत्र देवकिशन नाबालिग सरपरस्त पिता जयकिशन जाति गुर्जर निवासी पुसवाडिया की ढाणी ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टोंक
4. खुशीराम पुत्र प्रहलाद नाबालिग सरपरस्त पिता प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी पुसवाडिया की ढाणी ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
6. उप पंजियक निवाई जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री सीताराम शर्मा–अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री कौशल किशोर जाट–अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2
श्री राजाराम चौधरी–अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं0 3 व 4

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 1119 दिनांक 10.1.2019 ग्राम पंचायत खणदेवत

निर्णय

दिनांक–26/3/25

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नंबर 278/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया ग्राम पंचायत खणदेवत तहसील निवाई लिजा टोंक मे स्थित है जिस पर प्रार्थी मय परिवार बहामी इजाजती कब्जे के अनुसार मौके पर काबिज है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने उक्त आराजी को जरिये समश्रित संविदा के उक्त आराजी को प्रार्थी को बेचान कर दिया एवं कब्जा संभला दिया। लेकिन विक्रय पत्र कराने मे आनाकानी कर रहे है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिसके संबंध मे प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 एवं तहसीलदार निवाई को पक्षकार बनाते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो जेरकार है। इस वाद के बाद प्रार्थी ने संविदा की प्रोपर रेमेडी प्राप्त करने हेतु उक्त भूमि बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष बाबत संविदा पूर्ति व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी जैरकार है। उक्त दोनो वाद पेश होने की जानकारी के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 व अप्रार्थी सं0 3 व 4 के पिता जयकिशन व प्रहलाद ने कानूनी दावपेच लगाकर अपने पुत्रो के नाम उक्त आराजी को क्रय कर लिया जबकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही है। और विक्रय पत्र पंजीबद्ध करा लिया जो टी पी एक्ट के प्रावधानो से विपरीत होने के कारण कानूनी परिभाषा मे नही आत है। तहसीलदार निवाई ने उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

लिया जो विधि के प्रावधानो मे गलत है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत यह स्पष्ठ प्रावधान है कि यदि कोई तथाकथित विक्रय पत्र बाबत पक्षकारो मे विवाद जैरकार हो तो नामान्तरकरण की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है बल्कि तहसीलदार को है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे भी वाद जैरकार होने के कारण नामान्तरकरण की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। राजस्व कर्मचारियो को नामान्तरकरण को पंचायत को पेश करने का कोई अधिकार नही था, नामान्तकरण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। नामान्तकरण सं0 1119 मे गांव, गिरदावरी हल्का , रजिस्ट्री विवरण आदि अंकित नही है इस प्रकार विरोधाभाष होने के कारण नामान्तरकरण खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण को फसल बोनो काटने मे बाधा उत्पन्न नही करे, भूमि का रहन, दान बेचान आदि नही करे।

इसके पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 1119, जमाबंदी संवत 2028–2071, 2072–2075 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई की प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की गई।

प्रकरण मे आदेश 1 नियम 10 अपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे अंकितानुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के संबध मे वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी खातेदार संजय व पूजा ने अप्रार्थी सं0 3 व 4 नाबालिगो के पिता की संरक्षता मे विक्रय पत्र छलपूर्वक पंजीबद्ध करवा लिये और उसके आधार पर ग्राम पंचायत ने गलत रूप से नामान्तरकरण भर दिया गया। इसलिए प्रहलाद पुत्र हजारी , जयकिशन पुत्र हजारी जाति गुर्जर , बिरधीचन्द जाति मीणा, को अप्रार्थी सं0 7, 8, 9, 10 व 11 के रूप मे पक्षकार बनाया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थनापत्र झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण कोरम के समक्ष रख कर स्वीकार किया गया है जो सही है। अपील अपने निर्धारित समयावधि मे प्रस्तुत नही किये जाने से अपील खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट की ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे है जिसमे नकल प्रकरण सं0 2/19 ग्यारसीलाल बनाम संजय तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2018 है इस प्रकरण के निस्तारण एवं वास्तविक विनिश्चय हेतु आवश्यक हैं जिन्हे साक्ष्य मे ग्राहय किया जावे।

उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे अपीलार्थीगण द्वारा अंकित किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत नकल प्रकरण सं0 2/19 ग्यारसीलाल बनाम संजय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवाई गई जिनकी फर्जी होने की जांच नही हो पायी है। अतः रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रतियां उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलान्टन्ट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया कि प्रकरण की जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील अन्दर मिया है।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 33, 151, 152 आदेश 20 नियम (1) 3 नियम 3 धारा 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18, 57 प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया गया कि रेस्पोडेन्टस ने अपील का जवाब पेश नही किया और बहस की गई। न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 47 नियम 27 पर बहस सुनी गई एवं कानूनी दृष्टान्त पेश किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र आदेश 47 नियम 27 स्वीकार किया गया और अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज किया गया। उक्त आदेश को बिना लिखे ही मौखिक सुना दिया गया। लेकिन न्यायालय की आदेशिका मे गंभीर त्रुटि पायी गई। आदेशिका मे प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 को स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तथ्यो पर गौर कर बिन्दुवार आदेश को लिखाया जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्थगन मु0 68/19 प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से एक अपील स्थगन नं0 68/19 दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमे प्रार्थीगण अपीलान्ट की ओर से दिनांक 5.8.2019 को एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत किया गया था जिसका आदेश दिनांक 2.9.19 को

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

किया गया। परन्तु आदेशिका मे यह अंकित किया गया कि प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज किया गया एवं "विस्तृत निर्णय मूल अपील मे लिखा गया वास्ते जवाब प्रति0..."परन्तु मूल अपील सं0 9/19 के रूप मे दर्ज है। दोनो पत्रावलिया अलग अलग विचाराधीन है इसलिए प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 का आदेश विस्तृत रूप से प्रकियानुसार स्थगन पत्रावली सं0 68/19 मे लिखा जाना आवश्यक है।

इसके पश्चात प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस ने बहस के दौरान अपने अपने तथ्यों को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक उभय की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 278/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया को जरिये समश्रित संविदा के आधार पर अपीलार्थीगण को बेचान कर दिया एवं कब्जा संभला दिया जिसके अनुसार अपीलार्थी बहामी इजाजती कब्जे के अनुसार भूमि पर काबिज है। इस तथ्य के संबध मे उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण एक पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है और विक्रय पत्र एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके आधार पर भूमि का अंतरण किया जा सकता है साथ ही पंजीकृत दस्तावेज न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य के रूप मे ग्राहय किये जाते है। न्यायालय मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज अथवा न्यायालय निर्णय के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड मे अंतरण को विधि सम्मत मानता है। यदि अप्रार्थी सं0 1 को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध मे कोई उज्र है तो प्रथम उसे सक्षम न्यायालय मे चुनोति देनी चाहिए थी। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथित किया है कि उक्त विक्रय पत्र छलपूर्वक पंजीबद्ध किये गये है, लेकिन विक्रय पत्र के वैध अथवा अवैध होने के तथ्य का निर्णय का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र का विवाद सिविल न्यायालय से निर्णित होगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक पंजीकृत दस्तोवज के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है जो पूर्ण विधिक प्रकिया अनुसार है इसमे कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील मे यह भी तथ्य अंकित किया है कि विवादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 1119, धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के विपरीत प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुआ है। इस तथ्य के संबध मे यह कहना उचित होगा कि उक्त धारा के प्रावधानानुसार अन्तरण विवादस्पद हो तो तहसीलदार विधि अनुसार वाद का निर्णय करेगा, लेकिन वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विचाराधीन वादो मे स्थगन आदेश जारी नही था और सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली व कार्याक्षेत्र प्रथक प्रथक है। नामान्तरकरण के संबध मे राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश कमांक प.6 (1) राज–4, 89/03 दिनांक 24.9.1996 एवं कमांक प.5(3) राज–6/ 97/3 दिनांक 18.2.1998 के अनुसार नामान्तरकरण तब तक नही खोला जाये जब तक कि सक्षम प्रधिकारी द्वारा पंजीकृत हस्तान्तरण विलेख प्रस्तुत नही कर दिया जावे। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे विक्रय पत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना एक विधिक प्रकिया है। इसके विपरीत अपीलार्थीगण द्वारा कथित समश्रित संविदा के अपीलार्थीगण को बेचान कर दिया एवं कब्जा संभला दिया, यह तथ्य आधार हीन लगता है क्योकि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि पर उसके कब्जे के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया है और इस प्रकार के बहामी समझौते के आधार पर खातेदारी अधिकारो का अंतरण नही किया जा सकता है। भू–राजस्व अधिनियम मे भूमि के अंतरण, खातेदारी अधिकार के हस्तान्तरण के कुछ विधिक प्रवधान किये गये है। मात्र कथन कर देने से ही भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण नही होता है। अपील का यह तथ्य हास्यास्पद प्रतीत होता है। अपितु उक्त अपील प्रस्तुति के समय ही खारिज हो जानी चाहिए थी इस प्रकार की अपील मात्र न्यायालय का महत्वपूर्ण समय की बर्बादी के सिवा कुछ नही है। ऐसे आधारहीन वादो से निपटारे हेतु सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रावधान किया गया है कि जहा वाद पत्र खारिज कर दिया जायेगा जब वह प्रतीत हो कि वाद कानून द्वारा वर्जित है। अपील या वाद तब भी खारिज किया जा सकता है तब वाद का उचित कारण प्रकट नही किया जावे। साथ ही जहा वादी के वाद पत्र न्यायालय मे विधि द्वारा उचित नही लगता है तो भी वाद पत्र खारिज किया जा सकता है तथा वाद पत्र मे वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय पूर्ण रूप से दस्तावेज ना हो तथा ऐसा कोई कारण प्रतीत ना हो जिससे कि वाद चलाया जाना आवश्यक हो, तो भी वाद खारिज किया जा सकता है। उक्त अपील मे आदेश 7 नियम 11 के इन प्रावधानो का प्रकटीकरण हो रहा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

है। जमाबंदी अंकन के आधार पर केताओ द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कय की गई भूमि का वह बोनाफाईड परचेजर है। अपीलार्थी किसी भी प्रकार से यथा साक्ष्य, गवाहो, दस्तावेजो, ठोस आधारो, दलीलो से अपील को साबित करने पर असफल रहे है। उक्त अपील, अपीलार्थी द्वारा साक्ष्यों दस्तावेजो के अभाव एवं पर्याप्त तार्किक कारणो, अपीलार्थी के हित के अभाव मे न्यायालय को संतुष्ट नही कर पाने के कारण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण, न्यायालय अपील स्वीकार करना उचित नही समझता है। अपील स्वीकार करने योग्य नही है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थी बाबत विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 1119 दिनांक 10.1.2019 ग्राम हिंगोटिया, ग्राम **पंचायत खणदेवत**, तहसील **निवाई** जिला टोंक विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 28/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner